फा० सं० 7(22)/स्था० III/99
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
स्था. III डैस्क

नई दिल्ली, दिनांक 4-5-, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पशुचिकित्सीय पदों के वेतनमान तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ते में संशोधन ।

****

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह सिफ़ारिश की थी कि पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् में पंजीकरण अपेक्षित न्यूनतम अनिवार्य अर्हता वाले पदों को भारत सरकार के अधीन सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों तथा दन्त चिकित्सकों के लिए लागू मौजूदा वेतनमान (रिपोर्ट का पैरा 55.29।) के समतुल्य एक समान एन्ट्री ग्रेड में रखा जाए । इसके अनुसरण में संशोधित वेतनमान नियमावली, 1997 के भाग "ख" के तहत् 8000-13500 रूपए के वेतनमान को उन सभी पदों के लिए एन्ट्री ग्रेड के रूप में अधिसूचित किया जाता है, जिसके लिए पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक की डिग्री तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण न्यूनतम आवश्यक योजना के रूप में अपेक्षित हो ।

2. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् ने स्पष्ट किया है कि पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक (बी वी एस सी)/बी वी एस सी तथा पशुपालन/बी एस सी (पशु चिकित्सा) की डिग्री भारत में विभिन्न विश्व विद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही थी तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची में शामिल अर्हता के अनुसार इसे पशु चिकित्सा डिग्री के रूप में मान्यता प्राप्त है । ये सभी डिग्रियाँ समकक्ष एवं बराबर हैं । तथापि पशुचिकित्सा शिक्षा डिग्री पाठ्यक्रम(बी वी एस सी एवं ए एच) विनियम, 1993 के न्यूनतम मानदण्डों के अनुमोदन के बाद सभी विश्व विद्यालय एक समान डिग्री अर्थात् बी वी एस सी एवं ए. एच. (पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक) की डिग्री प्रदान कर रहे हैं ।

3. पशु चिकित्सा के पदों, जिनके संबंध में संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं दिनांक 30.09.1997 की अधिसूचना में उल्लिखित भर्ती योग्यताओं से भिन्न हैं, के लिए 8000-13500 रूपए के संशोधित वेतनमान लागू किए जाने के बारे में इस मंत्रालय को अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं । सरकार ने इस मामले पर विचार किया है तथा यह निर्णय लिया है कि संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय पशुचिकित्सा के पदों के भर्ती नियमों में संशोधन करेंगे जो कि वर्तमान में बी वी एस सी/बी वी एस सी एण्ड ए एच/बी एस सी (पशु चिकित्सा) की डिग्री की निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यता के अनुरूप है ताकि यह दिनांक 30.09.1997 की अधिसूचना में निर्धारित योग्यता के अनुसार हों । भविष्य में सभी नियुक्तियां संशोधित भर्ती नियमावली के आधार पर होंगी । इस दौरान पशु चिकित्सा के पदाधिकारी जिनके संदर्भ में, बी वी एस सी/बी एस सी (वैट)/बी वी एस सी तथा ए एच या अन्य कोई समकक्ष डिग्री

...2/-

जिसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् के अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत मान्यता दी हो, को न्यूनतम अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है तथा इन पदों को चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर 2000-3500 रुपए के वेतनमान में रखे गए पशुचिकित्सा पदों के लिए 8000-13500 रुपए का वेतनमान दिया जाए बशर्ते वे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत हों ।

4. पशु-चिकित्सकीय पदों से जुड़े प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की संशोधित दरों के संबंध में 15.04.1998 के का.ज्ञा. सं. 7(25)/ई. III(ए)/97 द्वारा इस मंत्रालय ने अलग से भी आदेश जारी किए हैं । इन आदेशों के पैरा 3 में यह शर्त है कि संशोधित दर पर प्रैक्टिस बन्दी भत्ता केवल उन्हीं पशुचिकित्सकों को देय होगा जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी वी एस सी और ए एच हो और वे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत हों । वेतनमान संबंधी लिए गए सुसंगत निर्णय के अनुसार उन सभी पदाधिकारियों जिन्हें 01.01.96 से पूर्व प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिलता रहा हो और जो उपरोक्त अनुबंध के कारण अब अयोग्य मान लिए गये हैं बशर्ते वे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् में पंजीकृत भी हों, को 01.01.1996 से संशोधित प्रैक्टिस बंदी भत्ता देय होगा जिनके पास भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुसार मान्यता प्राप्त योग्यता हो ।

(मधुमिता बी घुघल)
निदेशक

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।

....

(गौतम)